रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1983/आश्विन 12, 1905
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1983

का. आ. 715(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. 539(अ) दिनांक 22 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में—

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित मद संख्या 9 के कालम 2 के सामने "KR" अक्षर समूह के बाद "KB" अक्षर समूह जोड़े जाए ।

[फाइल सं. टी जी एम (58)/82]
गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 539 (E) dated the 22nd September, 1979, namely

In the said notification, in the Table :

against item No. 9 relating to the State of Kerala, in column 2, after the group of letters "KR', the group of letters "KB" shall be added.

[File No. TGM-58|82]
G. L. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983